रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1976/श्रावण 2, 1898

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1976/SRAVANA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1976

सा० का० नि० 1057.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में पुलिस उप-अधीक्षक के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, कालम 9 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3 वर्ष (सीधे भर्ती हुए पुलिस-उप-अधीक्षकों के लिए इस अवधि में उनकी प्रशिक्षण काल भी शामिल है)"

[संख्या 213/10/75-ए० वी० डी०-2]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personal and Administrative Reforms)

New Delhi, the 30th June, 1976

G.S.R. 1057.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment Rules, 1963 in the entries relating to post of Deputy Superintendent of Police, for the entry under Column 9, the following entry shall be substituted namely :—

"3 years (this includes the period of training for directly recruited Deputy Superintendents of Police)."

[No. 213/10/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

49 GI/76—1

1	2	3	4	5	6	7
23. Sweeper	Fifty	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Between 18-25 years	Desirable:- Primary School Standard pass.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer of Sweepers from Jammu and Kashmir Government.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 1/45/75-RLW (Vol. I)]
L.L. YADEN, Dy. Secy.

सूचना व प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1976

सा०का०नि० 1100.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 में :—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. अनर्हताएं :—

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले व्यक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा किये जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है"।

(2) इस प्रकार प्रतिस्थापित किए गए नियम 6 के बाद, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अपवाद : इन नियमों की किसी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(3) अनुसूची में, सीनियर इंजीनियर सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 14 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति : क्षेत्र में काम करने वाले वे इंजीनियरी सहायक जिनकी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा हो।

पाद टिप्पणी : नीचे निर्दिष्ट राज्यों के समूह से बने क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और कार्यालयों में काम करने वाले सीनियर इंजीनियरी सहायकों की एक सामान्य वरीयता सूची रखी जाएगी और स्थानान्तरण उक्त सूची के आधार पर संबंधित क्षेत्रों के भीतर ही किए जायेंगे।

पूर्वी क्षेत्र : असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश।

उत्तरी क्षेत्र : जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और दिल्ली।

पश्चिमी क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात, और मध्य प्रदेश राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्र, गोआ, दमन व दीव और दादरा तथा नगर हवेली।

दक्षिण क्षेत्र : तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और पाण्डीचेरी"।

[सं० 1/1/71-एस० 4]
राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th June, 1976

G.S.R. 1100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 :—

(i) for rule 6 the following rule shall be substituted namely :—

"6. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

(ii) After rule 6 so substituted, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time".

(iii) In the schedule against serial number 14 relating to the post of Senior Engineering Assistant, in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion: Engineering Assistants working in the Region with at least three years' approved service in the grade.

FOOT NOTE

A common seniority list will be maintained for Senior Engineering Assistants working at All India Radio stations and offices located in a group of States comprising a Region as indicated below and transfers shall be made within the respective Regions on the basis of said list.

Eastern Region: States of Assam, Orissa, West Bengal, Bihar, Meghalaya, Manipur and Tripura and Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh.

Northern Region: States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan, and Union Territories of Chandigarh and Delhi.

Western Region: States of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, and Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.

Southern Region: States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala and Union Territories of Lakshadweep, the Andaman and Nicobar Islands and Pondicherry".

[No. 1/1/71-S.IV]

R. K. GUPTA, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1976

सा० का० नि० 1101.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद् द्वारा इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी पदों के भर्ती नियम 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती संशोधन नियम 1976 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती नियम 1970 में—

(क) "इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय" शब्द के लिए, जहां कहीं भी इसका प्रयोग किया गया है, शब्द "इस्पात विभाग" रख दिया जायेगा

(ख) अनुसूची में चपरासी के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 में—

(1) कालम 11 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—"75% सीधी भर्ती द्वारा तथा 25% स्थानान्तरण द्वारा।"

(2) कालम 12 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी अर्थात् :—"मेहतर फराश, चौकीदार जो चपरासी के पद की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं नहीं रखते हैं लेकिन जिन्हें पढ़ने लिखने का साधारण ज्ञान है और जो (एक साधारण लिखित परीक्षा) द्वारा हिन्दी पढ़ने की योग्यता का प्रमाण दें और जिन्होंने वर्तमान संवर्ग, में 5 वर्ष की सेवा कर ली हो का स्थानान्तरण।"

(3) कालम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी अर्थात् :-

"सामान्य केन्द्रीय सेवा,

(अराजपत्रित)

वर्ग घ"

(4) कालम 13 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी :—

"वर्ग घ विभागीय पदोन्नति समिति, जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

1. अवर सचिव (प्रशासन) इस्पात विभाग — अध्यक्ष
2. अवर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग — सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी, इस्पात विभाग — सदस्य
4. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) इस्पात — सदस्य सचिव

[सं० 4(1)/75-प्रशा० 1]

एम० वी० लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 24th June, 1976

G.S.R. 1101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Steel and Heavy Engineering Class IV posts Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Steel and Heavy Engineering Class IV posts Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Steel and Heavy Engineering Class IV posts Recruitment Rules, 1970—

(a) for the words "Ministry of Steel and Heavy Engineering" wherever they occur, the words "Department of Steel" shall be substituted.

(b) in the Schedule, against serial No. 5 relating to the post of peon—

(i) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"75 per cent by direct recruitment 25 per cent by transfer."

(ii) for the entry in column 2, the following entry shall be substituted namely :—

"Transfer of Sweepers, Frashes, Chowkidars, who do not possess the qualifications prescribed for direct recruitment to the post of peon but who possess elementary literacy and give proof of ability to read in Hindi (in a simple written test) and have put in 5 years' service in the present cadre."

(iii) for the entry in column 4, the following entry shall be substituted namely :—

"General Central Service

(Non-Gazetted)

Group D"